MED 008

IMPORTANT QUESTIONS FOR YOUR EXAM

WITH ANSWERS IN HINDI AND ENGLISH

MAIN FIVE ORGANS OF UNITED NATIONS

The United Nations (UN) has five main organs, each with specific functions.

General Assembly (सामान्य सभा)

- **Function:** The General Assembly is the main deliberative body of the UN, where all member states are represented. It discusses and makes decisions on a wide range of international issues covered by the UN Charter, including peace and security, admission of new members, and budgetary matters.
- सामान्य सभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श निकाय है, जहाँ सभी सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा कवर किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और निर्णय करता है, जिसमें शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों की प्रवेश और बजट संबंधी मामले शामिल हैं।

2. **Security Council (सुरक्षा परिषद)**
   - **Function:** The Security Council is responsible for maintaining international peace and security. It has the power to make binding decisions that member states are obligated to implement, including the imposition of sanctions and authorization of military action.
   - सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है, जिन्हें सदस्य देशों को लागू करना होता है, जिसमें प्रतिबंधों का आरोपण और सैन्य कार्रवाई की अनुमति शामिल है।
3. **International Court of Justice (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय)**
   - **Function:** The International Court of Justice (ICJ) settles legal disputes between states and gives advisory opinions on international legal issues referred to it by the UN General Assembly, Security Council, or other UN organs and specialized agencies.
   - अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर परामर्शी राय देता है।
4. **Secretariat (सचिवालय)**
   - **Function:** The Secretariat carries out the day-to-day work of the UN as directed by the General Assembly, the Security Council, and other organs. It is headed by the Secretary-General, who is the chief administrative officer of the organization.
   - सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य संचालित करता है जैसा कि महासभा, सुरक्षा परिषद और अन्य अंगों द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।
5. **Economic and Social Council (ECOSOC) (आर्थिक और सामाजिक परिषद)**

Scholarly Minds

- **Function:** ECOSOC is responsible for coordinating the economic, social, and related work of 15 specialized agencies, their functional commissions, and five regional commissions. It serves as the central forum for discussing international economic and social issues and for formulating policy recommendations addressed to member states and the UN system.
- आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) 15 विशेष एजेंसियों, उनकी कार्यात्मक आयोगों और पांच क्षेत्रीय आयोगों के आर्थिक, सामाजिक और संबंधित कार्यों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीति सिफारिशें तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

Fundamental Right to a Clean Environment

The right to a clean environment is increasingly recognized as a fundamental human right, essential for the enjoyment of many other rights, including the right to life, health, and well-being. This right encompasses the protection and preservation of the natural environment and ensuring that all people can live in a healthy and sustainable environment.

स्वच्छ पर्यावरण का मौलिक अधिकार

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है, जो जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कई अन्य अधिकारों का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। यह अधिकार प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण और यह सुनिश्चित करने को शामिल करता है कि सभी लोग एक स्वस्थ और स्थायी पर्यावरण में रह सकें।

Legal Recognition:

- **International Level**: The right to a clean environment is enshrined in several international treaties and declarations, such as the Stockholm Declaration (1972), the Rio Declaration (1992), and more recently, the Paris Agreement (2015). The UN Human Rights Council recognized the human right to a clean, healthy, and sustainable environment in 2021.
- **National Level**: Many countries have incorporated the right to a clean environment into their constitutions or national legislation. For example, Article 21 of the Indian Constitution, interpreted by the Supreme Court of India, includes the right to a healthy environment as part of the right to life.

कानूनी मान्यता:

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर**: स्टॉकहोम घोषणा (1972), रियो घोषणा (1992) और हाल ही में पेरिस समझौता (2015) जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को स्थापित किया गया है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ, स्वस्थ और स्थायी पर्यावरण के मानव अधिकार को मान्यता दी।
- **राष्ट्रीय स्तर**: कई देशों ने अपने संविधान या राष्ट्रीय कानूनों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसे भारत के सर्वोच्च

Scholarly Minds

न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, में जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया गया है।

Components of the Right:

- **Clean Air and Water**: Access to unpolluted air and water is fundamental. Governments must implement regulations to control air and water pollution and ensure that industries comply with environmental standards.
- **Safe and Healthy Living Conditions**: This includes the management of waste, control of hazardous substances, and ensuring that urban planning considers environmental health.
- **Biodiversity and Ecosystem Protection**: Conservation of natural habitats and species is essential to maintain ecological balance and ensure the sustainability of natural resources.

अधिकार के घटक:

- **स्वच्छ वायु और जल**: प्रदूषण मुक्त वायु और जल तक पहुंच मौलिक है। सरकारों को वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और उद्योगों को पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विनियम लागू करने चाहिए।
- **सुरक्षित और स्वस्थ जीवन स्थितियाँ**: इसमें अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण और शहरी योजना में पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर विचार करना शामिल है।
- **जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण**: प्राकृतिक आवासों और प्रजातियों का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

Seed Suicides in India

Overview

"Seed suicides" refer to the tragic phenomenon where farmers, facing insurmountable debt and crop failures, end their lives. This issue is particularly acute in India and is tied to various socio-economic and agricultural factors, including the adoption of genetically modified (GM) seeds.

भारत में बीज आत्महत्याएँ

भारत में बीज आत्महत्याएँ एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, जो किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित है। इसे 'बीज आत्महत्याएँ' कहा जाता है क्योंकि इसमें उन्नत किस्म के बीजों, विशेष रूप से जीएम (जैविक रूप से संशोधित) बीजों के उपयोग और उनके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट का संबंध है। इस समस्या का मुख्य केंद्र बिंदु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्य हैं।

Scholarly Minds

Background

In the 1990s, India liberalized its economy, leading to significant changes in agriculture. One notable shift was the introduction of genetically modified seeds, particularly Bt cotton. These seeds were marketed as high-yielding and pest-resistant, promising better harvests and incomes.

पृष्ठभूमि

1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिससे कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक उल्लेखनीय बदलाव आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों, विशेष रूप से बीटी कपास की शुरूआत थी। इन बीजों को उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी के रूप में विपणन किया गया था, जिससे बेहतर फसल और आय का वादा किया गया था।

Key Factors Contributing to Seed Suicides

High Cost of GM Seeds:

- **Initial Investment**: GM seeds, such as Bt cotton, are more expensive than traditional seeds. Farmers often need to take loans to afford them.
- **Recurrent Purchases**: Unlike traditional seeds, GM seeds cannot be saved and replanted. Farmers must buy new seeds each season.

प्रमुख पहलू और कारण:

महंगे बीज और कर्ज का बोझ:

- **बीजों की उच्च लागत**: जीएम बीज और हाइब्रिड बीज पारंपरिक बीजों की तुलना में काफी महंगे होते हैं। किसानों को इन बीजों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- **कर्ज का भार**: महंगे बीजों और खेती की लागत के कारण किसान अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। जब फसल खराब होती है या उपज कम होती है, तो वे कर्ज नहीं चुका पाते, जिससे वे आत्महत्या

Crop Failure:

Crop Failure: GM seeds and hybrid seeds often do not give the promised yield, leading to crop failure. Uncertainty of weather, pests and diseases also contribute to this.

Natural Disasters: Drought, floods and other natural disasters affect crop production, reducing farmers' income.

फसल की विफलता:

- **फसल की असफलता**: जीएम बीज और हाइब्रिड बीज अक्सर वादा की गई उपज नहीं देते, जिससे फसल की विफलता होती है। मौसम की अनिश्चितता, कीट और बीमारियों का भी इसमें योगदान होता है।
- **प्राकृतिक आपदाएँ**: सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे किसानों की आय में कमी आती है।
- • **Debt Trap**:

Scholarly Minds

- **Cycle of Loans**: Farmers often take out high-interest loans to buy seeds, fertilizers, and pesticides. When crops fail, they cannot repay these loans, leading to further borrowing.
- **Lack of Financial Support**: Limited access to institutional credit forces farmers to depend on moneylenders who charge exorbitant interest rates.

कर्ज का जाल:

· कर्ज का चक्र: किसान अक्सर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। जब फसल खराब हो जाती है, तो वे इन ऋणों को चुका नहीं पाते, जिससे उन्हें और अधिक उधार लेना पड़ता है।

· वित्तीय सहायता का अभाव: संस्थागत ऋण तक सीमित पहुंच के कारण किसानों को साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं।

Globalization and seed suicides

Globalization has deeply influenced agricultural practices in India, contributing to the phenomenon of seed suicides. The introduction of costly genetically modified (GM) and hybrid seeds by multinational corporations has replaced traditional seeds.

Many farmers, lured by the promise of higher yields, take loans to buy these expensive seeds and necessary chemicals. When crops fail due to pest resistance or adverse weather, they fall into crippling debt. Unable to repay, many face severe financial distress, leading to suicides. Thus, globalization, while offering technological advances, has also increased the financial vulnerabilities of farmers.

वैश्वीकरण ने भारत में कृषि प्रथाओं को गहराई से प्रभावित किया है, जिससे बीज आत्महत्याओं की समस्या बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा महंगे जीएम और हाइब्रिड बीजों की शुरुआत ने पारंपरिक बीजों की जगह ले ली है।

उच्च पैदावार के वादे से आकर्षित होकर कई किसान महंगे बीज और आवश्यक रसायन खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। कीट प्रतिरोध या प्रतिकूल मौसम के कारण जब फसलें विफल हो जाती हैं, तो वे भारी कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज चुकाने में असमर्थ, कई किसान गंभीर वित्तीय संकट का सामना करते हैं, जिससे आत्महत्याएं होती हैं। इस प्रकार, वैश्वीकरण ने तकनीकी प्रगति प्रदान करते हुए भी किसानों की वित्तीय असुरक्षाओं को बढ़ा दिया है।

Scholarly Minds